

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 11.01.2017

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला सवाई माधोपुर हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री रतन लाल आजद पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, अध्यक्ष
निवासी-पीपल्दा, जिला सवाई माधोपुर। मों. 9414030823
- 2- श्रीमती आशा शर्मा पत्नि श्री देवेन्द्र शर्मा, सदस्य
निवासी-अरिहन्त कॉलोनी, बजाज शोरूम के पीछे,
सवाई माधोपुर। मों. 9414030989
- 3- श्री भरत सिंह भेडोला, सदस्य
निवासी-थाना चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।
मों. 9929903795
- 4- श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री पृथ्वीराज मीणा, सदस्य
निवासी-ग्राम झायरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
मों. 9928651573
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सदस्य-सचिव
सवाई माधोपुर।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से,



(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
- 7- पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- सम्बन्धित।
- 10- रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस